न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एंव अति0 जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

प्रार्थना पत्र स0:–3 /2026 पीठासीन अधिकारी–ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

राज्य सरकार जरिये, पुष्पेन्द्र सिंह चौधरी, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी

––प्रार्थी

बनाम

1. श्री मदन सैनी पुत्र श्री पालाराम सैनी मैसर्स गुंजन गैस ऐजेन्सी, झमेला वाली ढाणी, श्याम नगर, कोटपूतली, मो0न0 9928237470
2. मुख्य प्रबंधक कोन्फिडेन्स पैट्रोलियम इंडिया लिमिटेड, 34ए, कोन्फिडेन्स टावर सेन्ट्रल बाजार रोड़, रामदास पेठ नागपुर–44010 Emial-Shubhank1325@gmial.com Mob. 8956273537

––अप्रार्थी

विषयः– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अप्रार्थी द्वारा एलपी जी व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर जब्तशुदा एल पी.जी. गैस सिलण्डरों मय एल.पी.जी गैस एवं वाहन सख्या MP33H2203 RJ32GD7709 को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात कराने बाबत।

सन्दर्भ– कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटपूतली–बहरोड (राज.) के पत्र क्रमांक एफ()जि.र अ.को.ब./सतकर्ता/2026/3574, दिनांक. 17.03.2026 के क्रम में।

उपस्थितः–

1. पैरोकर रसद प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी वकील श्री विशाल सोनी ।

निर्णय

दिनांकः–29-5-26

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि संदर्भित आदेश की अनुपालना में दिनांक 17.03.2026 को जिला रसद अधिकारी, कोटपूतली–बहरोड, श्री शशि शेखर शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह चौधरी, एवं प्रवर्तन निरीक्षक श्री विश्राम, गुर्जर द्वारा गैस पॉइन्ट पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड कंपनी की गुंजन गैस ऐजेन्सी श्यामनगर कोटपूतली की जांच कि गई, जांच पर गुंजन गैस ऐजेन्सी के प्रोप्राईटर मदन सेनी द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र, बिना एक्सप्लोजिव लाईसेंस, बिना स्वीकृत गोदाम एवं बिना क्रय–विक्रय रजिस्टर के अवैध कारोबार करना पाया गया, साथ ही गैस पॉइन्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के व्यवसायिक सिलेण्डर्स की अवैध डीलेवरी करना पाये जाने से कुल 201 सिलेण्डर मय 2089.5 कि.ग्रा. एलपीजी गैस मय वाहन संख्या MP33H2203, RJ32GD7709 कब्जेराज लिये जाकर कोटपूतली इण्डेन गैस एजेन्सी के श्री मोती यादव सुपूर्दगी में दिये

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

गये । द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 एवं विस्फोटक नियम 2008 के उपबन्धों का स्पष्ट उल्लघंन पाये जाने पर श्री मदन सेनी, प्रोप्राईटर गुजन गैस ऐजेन्सी एव श्री राम रतन मीणा वाहन चालक गैस पॉइन्ट इडिया लिमिटेड कम्पनी की उपस्थिति में कोटपूतली इण्डेन गैस एजेन्सी, कोटपूतली के प्रतिनिधि श्री मोती यादव से प्रमाणित काटे से तौल करवाकर वजह सबूत कब्जे राज लिया गया। जब्त किये गये व्यवसायिक गैस सिलेण्डर एवं उसमें संगृहित गैस का विवरण (फर्द तलपट्टी मय रिपोर्ट के साथ संलग्न है।)

उक्त जब्त सामग्री (201 व्यवसायिक सिलेण्डर, (19.2 किग्रा क्षमता)), 2089.5 कि.ग्रा. एल. पी.जी गैस एव वाहन संख्या MP33H2203, RJ32GD7709 कब्जे राज को प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक कोटपूतली इण्डेन गैस एजेन्सी, कोटपूतली के प्रतिनिधि श्री मोती यादव को ठीक हालात में रखने व सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी दी गई है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त (201 व्यवसायिक सिलेण्डर, (19.2 किग्रा क्षमता)), 2089. 5 कि.ग्रा. एल.पी.जी. गैस एवं वाहन संख्या MP33H2203, RJ32GD7709 को राजसात कराने का श्रम करें। साथ ही उक्त एल.पीजी गैस उडनशील है, क्षय हो सकती है। अतः त्वरित अतरिम निस्तारण के आदेश भी करवाये।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैराकार ने जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धार–6ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान किये गये। अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता विशाल सोनी उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टगण ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि कंपनी वैध अनुज्ञा पत्र के माध्यम से ही व्यापार संचालित कर रही है। दिनांक 17.03.2026 को अधिकृत गुंजन गैस एजेंसी के ऑर्डर पर केवल 53 सिलेंडर भेजे गए थे, तथा शेष 53 सिलेंडर किसी अन्य गैस एजेंसी के थे जो उसी वाहन में लोड थे। वाहन चालक द्वारा प्रवर्तन अधिकारियों को मौके पर ही ऑर्डर व ई–वे बिल सहित सभी वैध दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए गए थे। कंपनी द्वारा कोई अवैध डिलीवरी नहीं की जा रही थी और न ही जब्त माल अवैध था तथा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अधिकृत डीलरशीप अप्रार्थी सख्या 2 से लेने के पश्चात उक्त कार्य किया जा रहा था जिससे संबंधित खरीद व बेचान का रिकॉर्ड भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा संचालित किया जा रहा था। अप्रार्थी संख्या एक के पास वर्तमान में रजिस्र्डर्ड गोदाम कम्पनी द्वारा अधिकृत नही किया गया है जब तक गोदाम अधिकृत हो तब तक अप्रार्थी संख्या एक द्वारा सिलेण्डर्स सप्लाई का कार्य वाहन से क्रोसिंग के पश्चात सीधे वितरण का कार्य किया जा रहा है इसकी जानकारी प्रवर्तन अधिकारी को दी गई थी जिस पर प्रवर्तन अधिकारी ने गौर नही फरमाया। मान्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटपूतली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 140/26 पुलिस थाना कोटपूतली के संबंध में उनवान मदन बनाम सरकार अपराध अन्तर्गत धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पिकअप वाहन संख्या RJ32GD7709 के रिलीज आदेश जिला रसद अधिकारी कोटपूतली को दिये गये है। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व की कार्यवाही को खारीज कर जब्त सिलेण्डर एवं

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

वाहन मुक्त करने की कृपा करे। पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र, बिना एक्सप्लोजिव लाईसेंस, बिना स्वीकृत गोदाम एवं बिना क्रय–विक्रय रजिस्टर के अवैध कारोबार करना पाये जाने पर उक्त जब्ती की कार्यवाही की गई इसलिए जब्त सिलेण्डर एवं वाहन को राजसात करने की कृपा करें।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, रसद विभाग की रिपोर्ट और अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया। दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सिलेंडरों के बिल और ई–वे बिल दिनांक 16.03.2026 कार्रवाई से एक दिन पूर्व के है जो कि यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि गैस पॉइंट पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड द्वारा गुंजन गैस एजेंसी कोटपूतली और तेज गैस एजेंसी डीडवाना–कुचामन को वैध रूप से सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे थे। परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के आरसी, परमिट, फिटनेस और पीयूसी वैध पाए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध माल की खरीद–बिक्री के बिल सही पाये गये है, किंतु अप्रार्थी संख्या 1 (गुंजन गैस एजेंसी) द्वारा बिना स्वीकृत गोदाम के, सीधे वाहन से क्रॉसिंग कराकर गैस सिलेंडरों का वितरण करना गैस सिलेंडर रूल्स 2004 और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिना अधिकृत गोदाम के एलपीजी जैसी ज्वलनशील गैस का भंडारण या सीधा वितरण जोखिम भरा है। चूंकि माल के वैध बिल और ई–वे बिल मौजूद हैं, इसलिए इसे पूर्णतः अवैध या चोरी का काला कारोबार नहीं माना जा सकता। अप्रार्थी वकील के कथनानुसार श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी वाहन संख्या RJ32GD7709 के रिलिज आदेश जारी किये गये है। अतः न्यायहित और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया जाता है कि जब्तशुदा वाहन संख्या MP33H2203, RJ32GD7709 को उनके स्वामियों/अधिकृत प्रतिनिधियों को तुरंत इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि वे भविष्य में बिना वैध अनुमति के इस प्रकार का असुरक्षित परिवहन नहीं करेंगे। एलपीजी एक अत्यधिक ज्वलनशील, उड़नशील और विस्फोटक सामग्री है, अतः आमजन की सुरक्षा और धारा 6ए(2) के तहत पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेशों के क्रम में, जब्तशुदा 201 व्यावसायिक सिलेंडरों (मय 2089.5 किग्रा गैस) को राजसात करने के बजाय, अप्रार्थी संख्या 2 कंपनी/एजेंसी द्वारा अधिकृत व्यक्ति श्री शुभांक सिंह को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है

4. निर्णय प्रति जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

5. निर्णय आज दिनांक 29/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)